नैक द्वारा ग्रेड प्राप्त

महावि.कोड क्र.–1203

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा

जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) 493118

PH:07726-220312 Website: www.gnapgcollege.in Email: govtgnapgcollege@gmail.com

क्रमांक/96 /निविदा/2026 भाटापारा, दिनांकः 16/01/2026

//केंटीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रण//

महाविद्यालय में सत्र 2025–26 अंतर्गत केंटीन संचालन हेतु इस महाविद्यालय द्वारा पूर्व में निविदा आमंत्रित की गई थी। समय–सीमा पर निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः न्यूनतम दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है। अतः इच्छुक केंटीन संचालक निर्धारित प्रारूप तथा उल्लेखित नियम एवं शर्तो अनुसार अपना निविदा सीलबंद लिफाफे में **दिनांक 23/01/2026 तक** कार्यालयीन समय पर महाविद्यालय कार्यालय में हस्तगत रूप से या पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सकते है।

नियम व शर्ते

(A) शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा परिसर में कैंन्टीन संचालन हेतु यह जारी किया गया है। कैंटीन में विद्यार्थियों/शिक्षकों/कर्मचारियों/अधिकारियों एवं आगंतुकों को उच्च गुणवत्तपूर्ण स्वच्छ व सुरक्षित नास्ता, खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थ प्रदाय करना होगा और परिसर में बैठकों /सम्मेलनों/सेमिनार/संगोष्ठियों आदि के दौरान समान सेवाएं (मांग अनुरूप) प्रदाय करनी होगी जो कि हाई–टी/पैक्ड नास्ता आदि शामिल रहेगा।

(B) –

1. संस्था/फर्म का जी.एस.टी. नम्बर प्रमाण पत्र का छायाप्रति देना होगा।
2. संस्था/फर्म के पैन कार्ड का छायाप्रति देना होगा।
3. जमा करने वाले फर्म को किसी भी बैंक/शासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है का रू. 100/– का नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. संस्था/फर्म को तैयार की जाने वाली खाद्य एवं पेय सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी।
5. खाद्य और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जारी फुड लायसेंस होना चाहिए।
6. सफल निविदाकार को सुरक्षा निधि रू. 3000/– (वापसी योग्य) प्राचार्य, शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा (छ.ग.) के नाम से जमा करना होगा।
7. फर्म को प्रति माह 1000 रू. किराये के रूप में महाविद्यालय कोष में जमा करना होगा।
8. जल, विद्युत का वास्तविक व्यय फर्म को स्वयं वहन करना होगा।
9. फर्म के द्वारा शासकीय कार्यालय/अर्द्धशासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय में कैन्टीन संचालन के अनुभवी को प्राथमिकता दी जायेगी।
10. संबंधित फर्म का कार्यकाल 01 वर्ष का होगा (अनुबंध तिथि से) कार्य संतोषजनक होने पर कार्यकाल को एक–एक वर्ष करके कैंटीन समिति की अनुशंसा पर दो बार बढ़ाया जा सकता है। अर्थात कुल 03 वर्ष का होगा।
11. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्राचार्य, शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा का निर्णय अनिवार्य रूप से मान्य होगा।
12. अनुबंध अवधि के दौरान भी डिफाल्ट मामले/अनुबंध शर्तो का पालन नहीं होने पर महाविद्यालय अनुबंध समाप्त कर सकता है। ऐसे मामलों में नोटिस जारी होने के 48 घंटे के भीतर परिसर खाली करना होगा।

13. महाविद्यालय प्रशासन, गठित समिति/अधिकारियों के माध्यम से बिना किसी बाधा के परोसी/बेची जाने वाली खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर निरीक्षण कराने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

(C) प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले संस्था/फर्म हेतु आवश्यक सामग्री/सुविधाओं की जानकारी –

1. हाउसकीपिंग खर्च :– कैंटीन एवं आवश्यकतानुसार विभागों में हाउसकीपिंग का वहन संबंधित फर्म को करना होगा।
2. पेयजल सुविधा :– संस्था/फर्म का उचित संस्था में वाटर कूलर, प्युरीफायर आदि की व्यवस्था/स्थापना अपनी लागत पर करनी होगी।
3. वेंटीलेशन की व्यवस्था :– संस्था/फर्म को रसोई में धुंए आदि के उचित वेंटिलेशन के लिए चिमनी/निकास पंखा आदि की व्यवस्था करनी होगी।
4. डिजिटल लेनदेन :– संस्था/फर्म को डिजिटल लेनदेन के लिए स्वाइप मशीन भीम एप आदि सुविधाकारी व्यवस्था करनी होगी।
5. फर्नीचर एवं बर्तन :– संस्था/फर्म को बर्तन, खाना पकाने हेतु वाणिज्यिक गैस, फ्रीज, बैठक हेतु टेबल/कुर्सी एवं वातानुकूलन हेतु ए.सी./कूलर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6. पैकेट खाने :– पैकेट में उपलब्ध खाद्य सामग्री/पेय पदार्थ उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए तथा MRP अथवा डिस्काउंट दर पर प्रदाय किया जाना होगा।
7. समाप्ति तिथि (Expiry Date) पश्चात् खाद्य सामग्री/पेय सामग्री विक्रय नहीं की जाएगी।
8. महाविद्यालय परिसर में तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट जैसे किसी भी प्रकार के नशा संबंधी सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित है।

D-

1. प्रपत्र आमंत्रण का अर्थ नहीं है कि शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा इस आमंत्रण के अंतर्गत किसी भाग को स्वीकृत करने के लिए बाध्य है।
2. किसी संस्था/फर्म या सभी संस्था/फर्म को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा के पास सुरक्षित है।
3. शासन द्वारा अधिकृत संस्था/फर्म/स्व सहायता समूह द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर प्राथमिकता दी जायेगी।
4. शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा द्वारा विभागीय वेबसाइट www.gnapgcollege.in में सूचना प्रकाशित करते हुए आवश्यक होने पर अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है, सूचना की शर्तों में संशोधन निविदा दस्तावेजों में परिवर्तन या प्रपत्र पूर्णतः निरस्त किया जा सकता है।

टीप :–

1. सावधानीपूर्वक पढ़कर, निर्धारित सभी योग्यता पूर्ण करने वाले व्यक्ति या संस्था/फर्म, प्रपत्र निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में जमा करावे, आधे अधूरे, अपूर्ण निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(हस्ताक्षर) 16/01/26

संयोजक

प्राचार्य
शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, भाटापारा (छ.ग.)

प्राचार्य
शा. ग. अ. स्ना. को. महाविद्यालय भाटापारा
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

कैंटीन संचालन हेतु आवेदन

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
भाटापारा (छ.ग.)

विषय – कैंटीन संचालन हेतु की रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने विषयक।

1. संस्था/फर्म का नाम ....
2. संस्था/फर्म के मालिक का नाम ....
3. स्थायी पता ....
4. मोबाइल नं. ....
5. ई–मेल ....
6. जी.एस.टी. नं. ....
7. आयकर पेन नं. ....

क्र.	खाद्य सामग्री	दर (प्रति प्लेट/नग/मात्रा)
1	समोसा (ग्राम/नग)	
2	कचौड़ी (ग्राम/नग)	
3	पकोड़ा (आलू) (ग्राम/नग)	
4	पकोड़ा (प्याजी) (ग्राम/नग)	
5	पोहा	
6	सूजी हलूवा	
7	गाजर हलूवा	
8	चाय	
9	कॉपी	
10	आलू चीप्स (ग्राम/नग)	
11	आलूचाप	
12	जलेबी (ग्राम/प्लेट)	
13	इमरती (ग्राम/प्लेट)	
14	खोवा जलेबी (ग्राम/प्लेट)	
15	ईडली	
16	साम्भर बड़ा	
17	अन्य खादय सामग्री	

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि संस्था /फर्म के संबंध में मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैंने उपरोक्त शर्तों का भली भांति अवलोकन कर लिया है। मुझे कार्य की समस्त शर्ते मान्य एवं स्वीकार हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक................................